

पत्र सं० 09/उपा0बीज0अनु0-31/2017 3736 /कृ० पटना, दिनांक - 06-9 2017

प्रेषक : हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

मेसर्स विजेता सीड्स कम्पनी,  
ग्राम-मुशहरी, पो०-अरविन्द नगर,  
जिला-सारण।

विषय : बीज बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

कलशायण

आपसे प्राप्त प्रपत्र-ए,कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
  2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
  3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
  4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
  5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
  6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या...24/2017...संलग्न है।
  7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे।
  8. पंजीकरण की वैधता तिथि...05/09/2020...तक मान्य है।
  9. कृषि निदेशालय के ज्ञापक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- अनुलग्नक :-बीज की सूची संलग्न।

विश्वासभाज्य

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

संलग्नक : 3736

/कृ०, पटना, दिनांक 06-9-2017

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) चेलाहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई02टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं प्रेषित करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

मेसर्स विजेता सीड्स कम्पनी द्वारा राज्य में निम्न प्रभदों का व्यवसाय किया जाएगा।

पत्रांक: 3736


दिनांक: 06/09/17

LIST OF SEEDS

SR. NO	CROP	VARIETIES
1	Bottle Gourd	PSPL, Gutka
2	Sponge Gourd	Maya, Madhuri
3	Ridge Gourd	Priyanka
4	Cucumber	Raja
5	Lobia	Pusa Komal
6	Onion	Choise red, Patna red
7	Radish	Pusa chetki
8	Brinjal	DBHL
9	Bitter Gourd	Green long, Arjun
10	Cauliflower	Sabour Agrim
11	Pea	Azad (P-3)

- कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

  
(हिमांशु कुमार राय)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।



FORM 'B'  
(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

Licence No. 24/2017 Date 05/09/17

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the licence Sri मेसर्स विजेता सीड्स कम्पनी, ग्राम-मुशहरी, पो0-अरविन्द नगर, जिला-सारण is hereby granted licence to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business मेसर्स विजेता सीड्स कम्पनी, ग्राम-मुशहरी, पो0-अरविन्द नगर, जिला-सारण the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
मेसर्स विजेता सीड्स कम्पनी, ग्राम-मुशहरी, पो0-अरविन्द नगर, जिला-सारण	मेसर्स विजेता सीड्स कम्पनी, ग्राम-मुशहरी, पो0-अरविन्द नगर, जिला-सारण
पूरब - सड़क	पूरब - सड़क
पश्चिम - निज अपना जमीन	पश्चिम - निज अपना जमीन
दक्षिण - गोबिन्दर शर्मा	दक्षिण - गोबिन्दर शर्मा
उत्तर - निज अपना जमीन	उत्तर - निज अपना जमीन

Date: 05/09/2017

Seal:

05/09/2017 - 31/2017 - 3736

Arhus  
6.9.17  
Licensing Authority  
Director of Agriculture  
Bihar, Patna

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1. The licence shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the licence shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This licence comes into force with immediate effect and shall be valid upto 05/09/2020 Unless previously cancelled or suspended.
4. The holder of the licence shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The licence shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate licence should be obtain if business is carried more than one place (For each place seperately).